

## नोटबंदी पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

### प्रलिमिंस के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, संवधिान पीठ, RBI, RBI अधनियिड की धारा 26(2) ।

### डेनूंस के लयि:

नोटबंदी पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय ।

## चरूा डें क्यूँ?

हल ही डें [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने पाँच न्यायाधीशुँ की संवधिान पीठ दूवारा 4-1 के बहुडत से 500 रुपए और 1,000 रुपए के करंसी नुँटुँ की नुँटबंदी पर फैसला सुनाया ।

## 'NOT RELEVANT WHETHER OBJECTIVES ACHIEVED OR NOT'

### MAJORITY VERDICT OF JUSTICES SA NAZEER, BR GAVALI, AS BOPANNA & V RAMASUBRAMANIAN

➤ Majority verdict says demonetisation had a "reasonable nexus with its objectives" such as eradicating black money and terror funding and it is not relevant whether those objectives were achieved or not

➤ Says government was in consultation with RBI for six months and it is empowered to take such a decision

➤ No fresh window to exchange notes, 52 days' time given earlier not unreasonable

“ There has to be great restraint in matters of economic policy. Court cannot supplant the wisdom of executive with its wisdom...

### MINORITY VERDICT OF JUSTICE BV NAGARATHNA

➤ Demonetisation move 'exercise of power' by Union government, **contrary to law and vitiated** under the RBI Act



➤ Carried out in 24 hours, so central bank had no time to consider it

➤ **Parliament**, which is "at the centre of our democracy, **cannot be left aloof** in a matter of such importance"

➤ Around 98% of value of banned currency reported to

have been exchanged, so **measure may not have been as effective as it was hoped to be**

“ This (use of phrases such as 'as desired' by the Centre in communication to RBI governor) demonstrates that there was no independent application of mind by the Bank

## आधकारिकि नरिणय:

### ■ बहुडत:

- बहुडत के अनुसार, केंद्र की 8 नवंबर, 2016 की अधसूचना वैध है और आनुपातकित्ता की कसौटी पर खरी उतरती है ।
- भारतीय रज़िर्व बैंक अधनियिड, 1934 की धारा 26 (2) के तहत जारी 8 नवंबर की अधसूचना से छह महीने पहले RBI और केंद्र ने एक-दूसरे के साथ इस संबंध डें परामरूश कयिा था ।
- RBI अधनियिड की धारा 26 (2) के तहत वैधानकिकि प्रकूरयिा का उल्लंघन केवल इसलयिे नहीं कयिा गया क्यूँककि केंद्र ने केंद्रीय डुर्ड को वडिुद्रीकरण की सफिारशि करने पर वचिार करने हेतु 'सलाह' देने की पहल की थी ।

- इस प्रावधान के तहत सरकार को बैंक नोटों की "सभी शृंखलाओं" को वमिद्रीकृत करने का अधिकार दिया गया था।
- जलदबाज़ी में लिये गए फैसले पर न्यायालय ने कहा कि इस तरह के कदम नरिविवाद रूप से अत्यंत गोपनीयता और तेज़ी से लिये जाते हैं। यदि इस तरह के कदम की खबर लीक हो जाती है, तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि इसके परिणाम कतिने वनिाशकारी हो सकते हैं।
- जाली मुद्रा, काले धन और आतंक के वतित्तपोषण को खतम करने के "उचित उद्देश्यों" के लिये वमिद्रीकरण किया गया था।
- अल्पमत नरिणयः
  - सरकार आरबीआई अधनियिम की धारा 26 (2) के तहत एक अधसूचना तभी जारी कर सकती थी जब आरबीआई ने सफिराशि के माध्यम से नोटबंदी का प्रस्ताव दिया होता।
  - इसलिये आरबीआई अधनियिम की धारा 26(2) के तहत जारी सरकार की अधसूचना गैरकानूनी थी।
  - जनि मामलों में सरकार नोटबंदी की पहल करती है, उनमें आरबीआई की राय लेनी चाहिये। बोरड की राय "स्वतंत्र और स्पष्ट" होनी चाहिये।
  - यदि बोरड की राय नकारात्मक थी, तो केंद्र केवल एक अध्यादेश की घोषणा करके या एक संसदीय कानून बनाकर भी वमिद्रीकरण की राह पर आगे बढ़ सकता था।
  - संसद को "लघु राष्ट्र" के रूप में वर्णित किया जाता तथा "संसद की अनुपस्थिति में, लोकतंत्र की स्थापना और सफलता अनश्चित है"।

## आनुपातकित्ता का परीक्षणः

- आमतौर पर संवैधानिक अदालतें, उन मामलों को तय करने के लिये हैं जहां दो या दो से अधिक वैध अधिकार टकराते हैं, आनुपातकित्ता का परीक्षण दुनिया भर की अदालतों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सामान्य रूप से नयिोजति कानूनी पद्धति है।
- जब इस तरह के मामलों का फैसला किया जाता है, तो आमतौर पर एक प्रकार के न्याय पर दूसरे न्याय को प्रभावी घोषित किया जाता है और न्यायालय इस प्रकार वभिनिन प्रकार के न्यायों के मध्य संतुलन स्थापित करता है।
- आनुपातकित्ता का सिद्धांत यह आदेश देता है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक उपाय आवश्यकता से अधिक कठोर नहीं होने चाहिये।

## नोटबंदी/वमिद्रीकरणः

- परचियः
  - 8 नवंबर, 2016 को सरकार ने घोषणा की कि उच्च मूल्य वर्ग के 500 रुपए एवं 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर (वैद्य मुद्रा) नहीं रहेंगे अर्थात् सीमति अवधि में सीमति सेवाओं के साथ इनकी वैधता समाप्त हो जाएगी।
  - यह वैध मुद्रा या फिएट मनी के रूप में अपनी स्थिति की एक मुद्रा इकाई को चलन से बाहर करने का कार्य है।
  - यह कार्य तब किया जाता है जब राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन होता है और मुद्रा के वर्तमान रूप या रूपों को चलन से बाहर कर दिया जाता है, जसि अकसर नए नोटों या सकिकों से प्रतस्थापित किया जाता है।
- वमिद्रीकरण का उद्देश्यः
  - अवैध लेन-देन के लिये उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के उपयोग को हतोत्साहित करना और इस प्रकार काले धन के व्यापक उपयोग पर अंकुश लगाना।
  - वाणजियिक लेन-देन के लिये डजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना और सरकारी कर राजस्व को बढ़ावा देना।
    - अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण का अर्थ है, कंपनियों को सरकार की नियामक व्यवस्था के अंतर्गत लाना तथा वनिरिमाण एवं आयकर से संबंधित कानूनों के अधीन करना।
- ऑपरेशन क्लीन मनीः
  - इसे आयकर वभिण (CBDT) द्वारा 9 नवंबर से 30 दसंबर, 2016 की अवधि के दौरान किये गए बड़े नकद जमा के ई-सत्यापन के लिये लॉन्च किया गया था।
  - यह कार्यक्रम 31 जनवरी, 2017 को शुरू किया गया था और मई 2017 में इसने दूसरे चरण में प्रवेश किया।
  - इसका उद्देश्य नोटबंदी की अवधि के दौरान करदाताओं के नकद लेन-देन की स्थिति (प्रतबिंधित नोटों की वनियम/बचत) को सत्यापित करना और यदि लेन-देन कर की स्थिति से मेल नहीं खाते हैं तो कर परिवर्तन कार्रवाई करना है।
- नोटबंदी का प्रभावः
  - 4 नवंबर, 2016 को जनता के पास प्रचलन मुद्रा 17.97 लाख करोड़ रुपए थी और नोटबंदी के बाद जनवरी 2017 में घटकर 7.8 लाख करोड़ रुपए रह गई।
  - इसके कारण मांग गरी गई, उद्यमों को संकट का सामना करना पड़ा और सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) की वृद्धि धीमी हो गई, जसिके परिणामस्वरूप कई छोटे व्यवसाय और दुकान बंद हो गए, साथ ही नकदी/तरलता की समस्या भी उत्पन्न हो गई।
  - तरलता की कमी या संकट तब उत्पन्न होता है जब वित्तीय संस्थान और औद्योगिक कंपनियों के लिये अपनी सबसे जरूरी आवश्यकताओं या अपनी सबसे मूल्यवान परियोजनाओं को पूरा करने के लिये आवश्यक नकदी की कमी हो जाती है।

## आगे की राह

- नोटबंदी काले धन और समानांतर अर्थव्यवस्था (अवैध अर्थव्यवस्था, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, तस्करी आदी) के खतरे का साहसपूर्वक मुकाबला करने के लिये त्वरित कदम था, जसिका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सरकार की नीतियों के माध्यम से प्रदर्शित होता है।

- सरकार के इस कदम ने विश्व स्तर पर भारत को अधिक महत्त्व प्रदान किया क्योंकि इसमें एक ऐसे मुद्दे से नपिटने में साहस दिखाया गया जैसे इस पीढ़ी के विकास की सफलता की राह में सबसे बड़ी समस्या माना जा सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-s-verdict-on-demonetisation>

